न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी

राजाखेडा–धौलपुर

(पीठासीन अधिकारी –सुश्री मनीषा कुमारी मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:– 05/24 दर्ज तिथि:– 29.01.2024

1. मीना देवी पत्नी दाऊजी उर्फ हरप्रसाद जाति राजपूत निवासी भूतेश्वर मौहल्ला राजाखेड़ा जिला धौलपुर .....वादीया

बनाम

1. नहनी पत्नी सुधीर जाति राजपूत निवासी भूतेश्वर मौहल्ला राजाखेड़ा
2. महाराजसिंह पुत्र भोगीराम धौलपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा वहैसियत लैण्ड होल्डर।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ता:– ऐ. के. जैन
प्रतिवादी अधिवक्ता:– सतीश बाबू शर्मा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णय:–

वाद संख्या 05/2024 निर्णय तिथि:– 06.03.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते मुताविक राजीनामा डिक्री किये जाने वास्ते पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि विवादित आराजी खसरा संख्या 2920 रकबा 0.2023 है0, 2922 रकबा 0.2023 है0, 2923 रकबा 0.1644 है0 कुल किता–03 कुल रकबा 0.5690 है0 वाकै ग्राम महदवार नं0 02 तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर में अवस्थित है। जिसमें वादिया 1/3 भाग की खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसका आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है हालंकि वादिया साविक खातेदार गंगादेवी पत्नी जनकसिंह जाति ब्रा0 निवासी कस्बा महदवार राजाखेड़ा के कब्जा काश्त अनुसार विवादित आराजी के पश्चिमी पार्ट ख0 नं0 2923 के पूर्ण रकबा पर एवं उससे सठे ख0 नं0 2922 के पार्ट पर तन्हा काविज काश्त है। जिसका उल्लेख विक्रय पत्र दिनांक 25.10.2004 में भी किया गया है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी के पूर्वी पार्ट पर काविज है। जो उन्होनें वादिया के वाद में साविक खातेदारों से क्रय किया है अर्थात Subsequent purchaser वादिया ख0 नं0 2923 में अपनी पशुबाडा बनाकर पश्चिमी पार्ट पर दरबाजा भी कायम कर चुकी है। जिसे प्रतिवादीगण ने आज तक सन् 2004 के बाद

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

Scanned with CamScanner

चैलेन्ज नहीं किया है। उपरोक्त विवादित आराजी रोड़ से सटी है। किमती हो गई अब आकर प्रतिवादीगण की नियत में वदी आ गई है विवातद आराजी में विधिवत विभाजन किये बिना रूपान्तरण प्लोटिंग करने को पुख्ता निर्माण करने को आमदा हो रहे है। जिसका कानून उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अन्त में निवेदन किया है कि वादिया का वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जावें– विवादित आराजी का वादिया के कब्जा काश्त अनुसार विभाजन किया जाकर खाता एवं लगान पृथक किया जावें। बसूरत दीगर विवादित आराजी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार विभाजन किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया गया।

3. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की आरे से एड. श्री सतीश बाबू शर्मा के द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर राजीनामा उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया। उभयपक्षकारान द्वारा मुताविक राजीनामा डिक्री हेतु सहमति दी गई।

2. हमने प्रकरण में उभय पक्षकारान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर एवं विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में राजीनामा में कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पक्षकारानों में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। विवादित आराजी ख0 नं0 2923 रकबा 0.1644 है0, हिस्सा पूर्ण, ख0 नं0 2922/1 रकबा 0.0252 है0 वजारिव पश्चिम की ओर कुल रकबा 0.1896 है0 अर्थात 15 विस्वा तन्हा वादी मीना देवी के स्वामित्व अधिपत्य कब्जे का है, आईन्दा भी तन्हा वादिया की पुख्ता बाउन्ड्री हो रही है एवं ख0 नं0 2922/1 रकबा 0.0252 है0 पार्ट भी ख0 नं0 2923 में मर्ज कर लिया है। जिसमें प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। और न भविष्य में रहेगा तथा विवादित आराजी ख0 नं0 2922/2 रकबा 0.1771 है0 एवं ख0 नं0 2920/1 रकबा 0.0126 है0 कुल रकबा 0.1897 है0 तन्हा प्रतिवादी संख्या 1 नहनी के स्वामित्व अधिपत्य उपयोग–उपभोग कब्जे का हैं अईन्दा भी रहेगा। जिसकी प्रतिवादी संख्या 1 नहनी ने मौके पर Fencing कर ली है जिससे वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 महाराज सिंह का कोई भी सम्बन्ध सरोकार नहीं है। और न भविष्य में रहेगा। एवं विवादित आराजी ख0 नं0 2920/2 रकबा 0.9897 है0 अर्थात 15 विस्वा तन्हा प्रतिवादी संख्या 02 महाराज सिंह के स्वामित्व अधिपत्य कब्जे का है। आईन्दा भी तन्हा प्रतिवादी संख्या 02 महाराज सिह के स्वामित्व अधिपत्य उपयोग–उपभोग का रहेगा। जिसकी प्रतिवादी संख्या 02 महाराज सिंह ने मौके पर Fencing जिससे वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 01 नहनी का कोई भी सम्बन्ध सरोकार नहीं रहेगा। उपरोक्त राजीनामा अनुसार वादिया का वाद पत्र अन्तिम रूप से डिक्री किया जावे।

हम मुताविक राजीनामा वादी का वाद पत्र अन्तिम रूप से डिक्री किया किया जाना उचित समझते है। अतः

आदेश है कि

दावा वादिया अन्तर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से मुताविक राजीनामा इस प्रकार से डिक्री किया जाता है विवादित आराजी खसरा नं0 2923 रकबा 0.1644 है0, एवं आराजी ख0 नं0 2922/1 रकबा 0.0252 व जानिव पश्चिम की ओर जो वर्तमान में विवादित आराजी 2923 रकबा 0.1644 है0 में मर्ज है। एवं मौके पर पुख्ता बाउन्ड्री हो रही है। कुल किता 2 कुल रकबा 0.1896 है0 स्थित बॉके ग्राम कस्बा महदवार नं0 02 राजाखेड़ा के खातेदार वादिया मीना देवी पत्नी दाऊजी उर्फ हरप्रसाद जाति राजपूत सा0 देह के कब्जे व हिस्से में रहेगी। एवं आराजी ख0 नं0 2922/2 रकबा 0.1771 है0 एवं ख0 नं0 2920/1 रकबा 0.0126 है0 कुल किता–2 कुल रकबा 0.1897 है0 स्थित बॉके ग्राम महदवार नं0 02 तहसील राजाखेड़ा के खातेदार नहनी पत्नी सुधीर जाति राजपूत सा0 देह खातेदार के कब्जे व हिस्से में रहेगें। एवं विवादित आराजी ख0 नं0 2920/2 रकबा 0.1897 है0 कुल किता –1 कुल रकबा 0.1897 है0 स्थित बॉके ग्राम कस्बा महदवार नं0 02 तहसील

Scanned with CamScanner

राजाखेड़ा के खातेदार प्रतिवादी संख्या 02 महाराज सिंह पुत्र भोगीराम जाति राजपूत सा0 देह के कब्जे व हिस्से में रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त राजीनामा दिनांक 06.03.2024 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

यह निर्णय व अन्तिम डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 06.03.2024 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुश्री मनीषा कुमारी मीना आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

Scanned with CamScanner